पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु गाइडलाईन (Guidelines)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
द्वितीय तल, विकास खण्ड,
सचिवालय, जयपुर

1. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान और निर्वाचन की प्रत्येक गतिविधि में नियोजित सभी व्यक्तियों (अधिकारी/कर्मचारी) द्वारा अनुपालन किये जाने वाले सामान्य दिशा निर्देश :-

1) चुनाव प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क (Face Mask) लगाना आवश्यक होगा।
2) चुनाव कार्य में प्रयुक्त होने वाले स्थान यथा हॉल/कमरे/परिसर को और चुनाव हेतु अधिग्रहीत एवं उपयोग में लिए जाने वाले सभी वाहनों को समुचित रूप से सेनेटाइज किया जायेगा। प्रत्येक कार्य स्थल के प्रवेश द्वार पर सहजदृश्य स्थान में "No Mask No Entry" प्रदर्शित किया जायेगा।
3) COVID-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन (Guidelines) की पालना करनी होगी।
4) चुनाव हेतु नियोजित व्यक्तियों एवं पुलिस/होमगार्ड एवं अन्य सुरक्षा बलों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराये जाये ताकि COVID-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन (Guidelines) की पालना सुनिश्चित हो सके।
5) चुनाव कार्य के दौरान सामाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन हो सके इस हेतु चुनाव की प्रत्येक गतिविधि के लिए नियोजित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यथा संभव बडे हॉल/बडे कमरे/बडे परिसर का चयन किया जाये।
6) चुनाव की प्रत्येक गतिविधि में प्रयुक्त होने वाले स्थल हॉल/कमरे/परिसर में प्रवेश के समय
   - इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन (EVMs) की प्रथम स्तरीय जांच (First Level Checking), चुनाव के लिए मतदान मशीन तैयार करने, मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं रवानगी तथा मतगणना कार्यवाही में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के तापमान की जांच के लिए थर्मल स्केनिंग (Thermal Scanning) की जायेगी।
   - चुनाव की उक्त गतिविधियों में नियोजित व्यक्ति का शारीरिक तापमान नियत तापमान से अधिक पाया जाता है तो उसे तुरन्त अन्य कार्मिकों से अलग करते हुए चुनाव कार्य से मुक्त किया जायेगा और उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति नियोजित किया जायेगा।
   - हाथ समुचित रूप से सेनेटाइज (Sanitize) करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा इसके लिए प्रत्येक स्थल पर सेनेटाइजर (Sanitizer) की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

2. नोडल स्वास्थ्य अधिकारी (Nodal Health Officer)

1) जिला स्तर पर जिला नोडल स्वास्थ्य अधिकारी (District Nodal Health Officer) पदनामित (Designate) किया जायेगा
2) पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए पंचायत समिति स्तर पर एक ब्लॉक नोडल स्वास्थ्य अधिकारी (Block Nodal Health Officer) पदनामित किया जायेगा।
3) नगरपालिका चुनाव हेतु प्रत्येक नगरपरिषद/नगरपालिका के लिए एक-एक तथा नगर निगम के लिए आवश्यकतानुसार एक से अधिक नोडल स्वास्थ्य अधिकारी (Nodal Health Officer) पदनामित (Designate) किये जा सकेंगे।

चित्रा 5/7

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

4) जिला नोडल स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सा सेवा का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसके समकक्ष स्तर का होगा और अन्य नोडल स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी स्तर के होंगे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से पदनामित (Designate) किये जायेंगे।
5) नोडल स्वास्थ्य अधिकारी COVID-19 से बचाव एवं सुरक्षा हेतु किये गये प्रबन्ध/उपायों को मॉनीटर करेंगे अतः निर्वाचन प्राधिकारियों या प्रशासन द्वारा COVID-19 से संबंधित समस्त प्रबन्ध/उपाय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख एवं जानकारी में किये जायेंगे।
6) निर्वाचन में नियोजित सभी व्यक्तियों को संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी (Nodal Health Oficer) का नाम एवं मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा।
7) यदि किसी स्तर पर COVID-19 से संबंधित उपाय पर्याप्त प्रतीत नहीं हों तो निर्वाचन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि इस तथ्य को संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी (Nodal Health Oficer) की जानकारी में तत्काल लाया जाये ताकि समय रहते समुचित प्रबन्ध/उपाय सुनिश्चित किये जा सके। मतदान दलों को इस तथ्य की जानकारी प्रशिक्षण के समय दी जायेगी।

3. इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन (Electronic voting Machine) की प्रथम स्तरीय जांच (First Level Checking)

1) इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन (EVMs) की प्रथम स्तरीय जांच (First Level Checking) बडे हॉल में की जाये ताकि जांच (FLC) के दौरान सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना सुनिश्चित की जा सके।
2) हॉल को उपयोग में लेने से पूर्व सेनेटाइज (Sanitize) किया जायेगा।
3) मतदान मशीन की जांच के लिए हाल में प्रवेश करने वाले इंजीनियर्स एवं इस कार्य हेतु नियोजित अन्य सभी व्यक्तियों के तापमान की जांच के लिए थर्मल स्केनिंग (Thermal Scanning) की जायेगी।
4) इंजीनियर्स के लिए दोनों वैक्सीन लगने का प्रमाण पत्र होने या आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5) हॉल में हाथ सेनेटाइज (Sanitize) करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा इसके लिए सेनेटाइजर (Sanitizer) की समुचित व्यवस्था की जायेगी।
6) मशीन (EVMs) की जांच प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क (Face Mask) लगाना एवं ग्लव्स (Gloves) पहनना अनिवार्य होगा।
7) प्रथम स्तरीय जांच (FLC) एवं मतदान हेतु मशीन (EVMs) तैयार करते समय उपस्थित होने वाले मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों पर भी उक्त उपबंध यथा आवश्यक लागू होंगे। यदि किसी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि का शारीरिक तापमान नियत तापमान से अधिक पाया जाता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा और उसके स्थान पर इस निमित्त अन्य अधिकृत व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
8) **चुनाव हेतु मतदान मशीन (EVMs) तैयार करते समय भी उक्त प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।**

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

4. नामनिर्देशन–पत्रों का प्रस्तुत किया जाना (Nomination Process)

1) नामनिर्देशन पत्र (Nominations) प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जगह वाले बडे हॉल/कमरे का चयन किया जाये ताकि रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान सामाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन आसानी से कराया जा सके। निर्वाचन के अगले स्तर की कार्यवाही यथा नाम निर्देशन पत्रों (Nominations) की संवीक्षा, नाम वापस लेने एवं निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन के लिए भी आवश्यकतानुसार उक्त चयनित हॉल/कमरा उपयोग में लाया जा सकेगा।
2) हॉल/कमरा उपयोग में लेने से पूर्व सेनेटाइज (Sanitize) किया जायेगा।
3) नामनिर्देशन पत्र (Nominations) का प्ररूप आयोग की website "sec.rajasthan.gov.in" पर उपलब्ध है वहां से प्रिंट लेकर भी उपयोग में लिया जा सकेगा।
4) रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के हाथ सेनेटाइज (Sanitize) किये जायेंगे।
5) बिना मास्क के रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामनिर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रवेश नहीं दिया जायेगा इस हेतु रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष के प्रवेश द्वार पर सहजदृश्य स्थान पर "No Mask No Entry" प्रदर्शित किया जायेगा।
6) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में नामनिर्देशन पत्र (Nominations) अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है अतः अभ्यर्थी के साथ केवल एक अन्य व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी।
7) नगरीय निकायों के चुनाव में नाम निर्देशन पत्र (Nominations) प्रस्तावक द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है अतः यदि अभ्यर्थी या प्रस्तावक इनमें जो भी लागू हो (as the case may be) के साथ एक अन्य व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
8) नामनिर्देशन प्रस्तुत करने के लिए एक समय में एक से अधिक अभ्यर्थी या प्रस्तावक आ सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रतीक्षा हेतु कक्ष से बाहर बैठाने की पर्याप्त व्यवस्था इस प्रकार की जायगी कि सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना की जा सके। प्रतीक्षारत व्यक्तियों को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनके आने के समय क्रम के अनुसार हस्ताक्षरित पर्ची दी जायेगी और उनकी बारी आने पर उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।
9) कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति भी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इस संबंध में आयोग द्वारा सरपंच एवं पंच पद के चुनाव के संबंध में आदेश कमांक 7149 दिनांक 17.09.2020 एवं नगरीय निकायों के चुनाव के संबंध में आदेश कमांक 8247 दिनांक 09.10.2020 जारी किए गये है। उक्त आदेशों में नियत की गई व्यवस्था यथा अपेक्षित परिवर्तन सहित समस्त प्रकार के निर्वाचनों में अपनाई जाएगी। संदर्भित आदेश इस गाईडलाईन का भाग माना जाएगा जो कमशः परिशिष्ट 'A' एवं 'B' पर उपलबध हैं।
10) आयोग के पूर्ववर्ती किसी सांविधिक आदेश में अन्यथा निर्देश उपबंधित होने पर भी अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक से अधिक वाहन में या समर्थकों के साथ रैली या जुलूस के रूप में रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नहीं आयेंगे।

चित्रा
5/7

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

5. नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा

1) नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए बडे हाल का चयन किया जाये ताकि सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना संभव हो सके।
2) हॉल/कमरा उपयोग में लेने से पूर्व सेनेटाइज (Sanitize) किया जायेगा।
3) संवीक्षा कक्ष में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के हाथ सेनेटाइज (Sanitize) किये जायेंगे।
4) बिना मास्क के संवीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा इस हेतु कक्ष के प्रवेश द्वार पर सहजदृश्य स्थान पर "No Mask No Entry" प्रदर्शित किया जायेगा।
5) संवीक्षा में अभ्यर्थी या प्रस्तावक जो भी लागू हो (as the case may be) के साथ एक अन्य व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
6) एक समय में केवल एक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। जिस वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जा रही हो उसके सभी अभ्यर्थी/प्रस्तावक एक साथ उपस्थित रह सकते हैं लेकिन इस दौरान उनके मध्य सामाजिक दूरी (Social Distancing) रखी जायेगी और इसका अनुपालन सभी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा में किया जायेगा।
7) संवीक्षा के लिए एक साथ एक से अधिक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी एवं अन्य अनुमत व्यक्ति आ सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रतीक्षा हेतु कक्ष के बाहर बैठने की पर्याप्त व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना की जा सके। प्रतीक्षारत व्यक्तियों को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र की संख्या के क्रम से उनकी बारी आने पर उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।
8) संवीक्षा में जिन अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र सही पाये जाते हैं और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं उन अभ्यर्थियों को इस आशय की लिखित सूचना (Notice) दी जायेगी कि–

   - चुनाव प्रचार के दौरान COVID-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन (Guidelines) की पालना आवश्यक रूप से की जायेगी।
   - चुनाव प्रचार के दौरान सभा, रैली या जुलूस नहीं निकाला जायेगा और इस गाइडलाइन के पैरा संख्या 10 (पृष्ठ संख्या 8) में निर्धारित रीति के अनुसार ही चुनाव प्रचार किया जा सकेगा
   - परिणाम घोषित होने के बाद विजयी उम्मीदवार द्वारा कोई विजयी जुलूस, रैली या सभा आयोजित नहीं की जायेगी।
   - COVID-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में यह स्पष्ट निर्देश है कि किसी व्यक्ति द्वारा इन गाइडलाइन का उलंघन किया जाता है तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सूचना की दूसरी प्रति पर, अभ्यर्थी/प्रस्तावक जो भी लागू हो, द्वारा हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे जो सूचना की तामील का प्रमाण होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

6. नाम वापस लेना

1) नामनिर्देशन पत्रों की वापसी के लिए यथा आवश्यक बडे हॉल का चयन किया जाये ताकि सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना संभव हो सके।
2) हाल/कमरा उपयोग में लेने से पूर्व सेनेटाइज (Sanitize) किया जायेगा।
3) कक्ष में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के हाथ सेनेटाइज (Sanitize) किये जायेगे।
4) बिना मास्क के संवीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा इस हेतु कक्ष के प्रवेश द्वार के सहजदृश्य स्थान पर "No Mask No Entry" प्रदर्शित किया जायेगा।
5) नाम वापस लेने हेतु एक समय में केवल एक अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक, जो भी लागू हो (as the case may be), को ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

7. निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन

1) पंचायत समिति एवं जिला परिषद चुनाव के लिए निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन, नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शुरू की जायेगी और एक बार में केवल एक निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं को बुलाया जायेगा और इस प्रक्रिया का अनुपालन सभी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के लिए किया जायेगा।

2) पंच एवं सरपंच पद के चुनाव में भी नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे इसके लिए पहले सरपंच पद के अभ्यर्थियों को आवंटित निर्वाचन प्रतीक दिये जायेंगे एवं इसके पश्चात एक-एक वार्ड के पंच पद के अभ्यर्थियों को आवंटित निर्वाचन प्रतीक दिये जायेंगे।
3) नगरीय निकायों के चुनाव में नाम वापस लेने के बाद दूसरे दिन निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे, इसके लिए एक बार में केवल एक वार्ड के अभ्यर्थियों अथवा उनके प्रस्तावक को बुलाया जायेगा एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे। इस प्रक्रिया का अनुपालन सभी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के लिए किया जायेगा।

8. मतदान दलों का गठन एवं प्रशिक्षण

1) मतदान कार्य में नियोजित किये जाने वाले संभावित कार्मिक/अधिकारियों का टीकाकरण (Vaccination) का डेटा तैयार किया जायेगा। यदि ऐसे कार्मिक/अधिकारियों का टीकाकरण (Vaccination) नहीं किया गया है तो प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने से पूर्व चिकित्सा विभाग से समन्वय स्थापित कर विशेष टीकाकरण कैम्प (Special Vaccination Camp) आयोजित कर उनका टीकाकरण (उनको प्रथम/द्वितीय टीका जो भी लागू हो) सुनिश्चित किया जावे।
2) मतदान दल में गम्भीर रोग से ग्रस्त व्यक्ति चुनाव कार्य में नियोजित नहीं किया जाये किन्तु कोई व्यक्ति गंभीर रोग से ग्रस्त है या नहीं, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया जायेगा। उक्त के अलावा गर्भवती महिला (Pregnant woman) एवं धात्री मां (Lactating Mother) को मतदान दल में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
3) प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त जगह वाले बडे हाल/परिसर का चयन किया जाये ताकि प्रशिक्षण के दौरान सामाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन आसानी से कराया जा सके।

चित्रा
5/7

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

4) सामाजिक दूरी (Social Distancing) के अनुपालन के लिए प्रशिक्षण स्थल की क्षमता का ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को सीमित रखते हुए प्रशिक्षण के आवश्यकतानुसार एक से अधिक चरण नियत किये जा सकेंगे।
5) हाल/परिसर को उपयोग में लेने से पूर्व सेनेटाइज (Sanitize) किया जायेगा।
6) प्रवेश से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के हाथ सेनेटाइज (Sanitize) किये जायेगे इसके लिए सेनेटाइजर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
7) बिना मास्क के प्रशिक्षण स्थल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा इस हेतु परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर सहजदृश्य स्थान पर एवं परिसर के एक से अधिक अन्य सहजदृश्य स्थानों पर आवश्यकतानुसार "No Mask No Entry" प्रदर्शित किया जायेगा।
8) प्रवेश से पूर्व सभी व्यक्तियों के तापमान की जांच के लिए थर्मल स्केनिंग (Thermal Scanning) की जायेगी।
9) चुनाव कार्य में नियोजित व्यक्ति का शारीरिक तापमान नियत तापमान से अधिक पाया जाता है तो उसे तुरन्त अन्य कार्मिकों से अलग करते हुए चुनाव कार्य से मुक्त किया जायेगा और उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति नियोजित किया जायेगा।
10) प्रशिक्षण मे उपयोग में ली जाने वाली सामग्री को उपयोग में लेने से पूर्व सेनेटाइज (Sanitize) किया जायेगा।
11) मतदान के पर्यवेक्षण के लिए नियोजित जोनल मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट/ऐरिया मजिस्ट्रेट/पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित किये जाने के लिए अधिग्रहीत अधिकारीगण के लिए भी यथासाध्य उक्त निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

9. मतदान सामग्री का वितरण एवं मतदान दलों की रवानगी

1) मतदान सामग्री के वितरण एवं मतदान दलों की रवानगी के लिए पर्याप्त जगह वाले बडे हॉल/परिसर का चयन किया जाये ताकि इस दौरान सामाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन आसानी से कराया जा सके।
2) सामाजिक दूरी (Social Distancing) की अनुपालना के लिए मतदान दलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मतदान सामग्री के वितरण का कार्य एवं मतदान दलों की रवानगी आवश्यकतानुसार एक से अधिक सत्रों में या विकेन्द्रीकृत व्यवस्था अपनाते हुए अलग–अलग स्थलों से की जा सकेगी। मतदान सामग्री के वितरण के लिए (i) टोकन जारी कर उनका नंबर आने पर मतदान सामग्री वितरित करने या (ii) प्रशिक्षण स्थल पर मतदान दल की मेज (table) पर ही मतदान सामग्री वितरण करने के नवाचार (innovative) अपनाये जाये ताकि सामाजिक दूरी (Social Distancing) की अनुपालना आसानी से हो सके।
3) मतदान सामग्री को सेनेटाइज (Sanitize) करने के उपरान्त ही उसका वितरण किया जाए एवं इसके परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को भी प्रयोग में लेने से पूर्व सेनेटाइज (Sanitize) किया जाये।
4) मतदान दल में नियोजित कार्मिकों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को रवाना करने से पूर्व एवं मतदान पश्चात वापसी से पूर्व ठीक तरह से सेनेटाइज (Sanitize) किया जाये।

चित्रा
5/7

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

5) मतदान दल सदस्यों के प्रयोजनार्थ पर्याप्त मात्रा में मास्क, गलव्स उपलब्ध कराये जाये और प्रत्येक दल के लिए एक लीटर की सेनेटाइजर की बोतल उपलब्ध कराई जायेगी। मास्क, गलव्स एवं सेनेटाइजर की गुणवत्ता एवं विशिष्टता (Quality and Specifications) का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से परामर्श से किया जायेगा।
6) मतदान दल की रवानगी से पूर्व आयोजित प्रशिक्षण में मतदान दलो को चुनाव कार्य/मतदान के दौरान मास्क और गलव्स पहनने एवं समय–समय पर हाथ सेनेटाइज करते रहने के स्पष्ट निर्देश दिये जाये।
7) मतदान दल की रवानगी के समय भी दल के प्रत्येक सदस्य एवं वाहन के चालक/सहायक के तापमान की जांच के लिए मेडीकल टीम द्वारा थर्मल स्केनिंग (Thermal Scanning) की जायेगी।

10. चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार

1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के संबंध में जारी किये गये सांविधिक आदेश (Statutory Orders)/ निदेशों के अध्यधीन रहते हुए COVID-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एवं तत्समय प्रभावी गाइडलाइन एवं आयोग द्वारा जारी इस गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करते हुए अभ्यर्थी केवल मान्य तरीके से चुनाव प्रचार कर सकेंगे।
2) चुनाव प्रचार के दौरान सभा, रैली या जुलूस नहीं निकाला जायेगा।
3) अभ्यर्थियों द्वारा घर–घर जाकर चुनाव प्रचार किया जा सकेगा लेकिन घर–घर जाकर चुनाव प्रचार करने के दौरान पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाया जायेगा और COVID-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एवं तत्समय प्रभावी गाइडलाइन एवं आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जायेगी।
4) COVID Positive पाये गये अभ्यर्थी एवं उनके समर्थक द्वारा COVID-19 के लिए नियत Quarantine अवधि अथवा कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होने तक, जो भी अवधि पश्चात्वर्ती हो, में घर –घर जाकर या व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए चुनाव प्रचार नहीं किया जायेगा।
5) प्रत्येक अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि संवीक्षा के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा COVID-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन (Guidelines) की पालना करेगा एवं लिखित सूचना में दिये गये तथ्यों को अपने समर्थकों/प्रचारकों की जानकारी में भी लायेगा।
6) अभ्यर्थी या उसके समर्थक/प्रचारक चुनाव प्रचार के दौरान किसी मतदाता के पैर नहीं छुएगें, हाथ नहीं मिलायेंगे एवं एवं गले नहीं लगेंगे और यदि मतदाता के घर का कोई सदस्य COVID Positive है तो उस घर में प्रवेश नहीं करेगा लेकिन अपेक्षित दूरी रखते हुए बाहर से ही संवाद कर सकेंगे।

चित्रा
5/7

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

11. मतदान के एक दिन पूर्व की मतदान केन्द्र की व्यवस्था

1) मतदान दल के पहुचने से पूर्व उसी दिन मतदान केन्द्र को सेनेटाइज (Sanitize) किया जायेगा।
2) मतदान केन्द्र में एक से अधिक मतदान बूथ हो सकते हैं अतः मतदान के लिए आने पुरूष, महिला एवं दिव्यांगजन/वरिष्ठ नागरिकों के खडे होने के लिए प्रत्यके बूथ के लिए इनकी अलग–अलग तीन पंक्तियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
3) मतदान केन्द्र/मतदान भवन में स्थित प्रत्येक बूथ के लिये स्थान की उपलब्धता के अनुसार मतदाताओं के खडे होने के लिए 6 फीट (2 गज) की दूरी के अन्तर से गोले बनाये जायेंगे (Earmarking circle)।
4) पंक्ति में निर्धारित गोलों के अतिरिक्त मतदाताओं के एक समय में आने पर उन्हें मतदान केन्द्र से बाहर इन्तजार करने के लिए रखा जायेगा इस स्थान पर भी COVID-19 की गाइडलाइन के अनुसार उचित व्यवस्था की जायेगी।
5) मतदान केन्द्र/मतदान भवन के प्रवेश द्वार पर सहजदृश्य स्थान पर COVID-19 की जागरूकता के लिए "No Mask No Entry" का पोस्टर लगाया जायेगा।
6) मतदान केन्द्र/मतदान भवन के प्रवेश द्वार पर मास्क, सेनेटाइजर के लिए स्थान नियत कर मास्क, सेनेटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
7) COVID Positive मतदाता चिकित्सा प्राधिकारियों के देखरेख में COVID-19 प्रोटोकाल का पूर्ण पालन करते हुए मतदान कर सकेंगे। मतदान के लिए नियत समय का अन्तिम एक घण्टा उनके मतदान के लिए नियत किया गया है। इसकी सूचना ऐसे मतदाताओं को स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा दूरभाष पर दी जायेगी।
8) कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति भी मतदान कर सकता है। इस संबंध में आयोग द्वारा सरपंच एवं पंच पद के चुनाव के संबंध में आदेश क्रमांक 7378 दिनांक 22.09.2020 एवं नगरीय निकायों के चुनावों के संबंध में आदेश क्रमांक 8242 दिनांक 09.10.2020 जारी किए गये है। उक्त आदेशों में नियत की गई व्यवस्था यथा अपेक्षित परिवर्तन सहित समस्त प्रकार के निर्वाचनों में अपनाई जाएगी। संदर्भित आदेश इस गाईडलाईन का भाग माना जाएगा। यह आदेश क्रमशः परिशिष्ट '**C**' एवं '**D**' पर उपलब्ध हैं।
9) जिला नोडल स्वास्थ्य अधिकारी (District Nodal Health Officer) द्वारा मतदान से एक दिन पूर्व मतदान केन्द्र के अनुसार COVID-19 के सक्रिय केसेज का डेटा एवं उनके पास उपलब्ध थर्मल स्केनर (Thermal Scanner) की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।
10) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र पर COVID-19 के सक्रिय केसेज की संख्या एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध थर्मल स्केनर (Thermal Scanner) की उपलब्धता के आधार पर जिन मतदान केन्द्रों पर COVID-19 के सक्रिय केसेज की संख्या ज्यादा है उनमें थर्मल स्केनिंग (Thermal Scanning) की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
11) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजेशन के लिए तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ANM, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं NCC Cadet की सेवाएं ली जा सकेंगी।

चित्रा
5/7

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

12)

12. मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र की व्यवस्था

मतदान केन्द्र की स्थापना एवं उसकी उचित व्यवस्था के संबंध में आयोग के जारी निर्देशों के अतिरिक्त COVID-19 के संबंध में निम्न व्यवस्थाएं आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जानी हैं।

A. मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर एक होमगार्ड नियोजित किया जायेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि–

1. मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर की उचित और पर्याप्त व्यवस्था है।
2. मतदान केन्द्र में व्यक्ति मतदान के लिए ही प्रवेश कर रहा है।
3. प्रवेश के समय उसके मास्क लगा हुआ है।
4. मतदान केन्द्र में प्रवेश से पूर्व मतदाता ने अपने हाथ सेनेटाइज (Sanitize) कर लिए हैं।
5. यदि मतदान केन्द्र पर थर्मल स्केनर उपलब्ध है तो प्रवेश के समय उसकी थर्मल स्केनिंग हो गई है और उसका तापमान सामान्य है।
6. पंक्ति में निर्धारित गोलों से अधिक व्यक्ति मतदान केन्द्र प्रवेश नहीं करे बल्कि बाहर निर्धारित स्थान पर अपनी बारी का इंतजार करें।
7. मतदान केन्द्र अन्दर मतदाताओं के खडे होने के लिए 6 फीट (2 गज) की दूरी के अन्तर से बनाये गये गोले (Earmarking circle) के अतिरिक्त अन्य मतदाता परिसर में एकत्रित नहीं हो और सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना कडाई से की जा सके।

B. मतदान बूथ के लिए निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी

1. मतदान शुरू होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मतदान दल के सभी सदस्य एवं मतदान ऐजेन्ट स्वस्थ हैं और उनमें से किसी को Covid-19 के लक्षण नहीं हैं। इसका एक नोट पीठासीन अधिकारी की डायरी में डाला जायेगा।
2. मतदान बूथ पर मतदान दल के सदस्यों एवं मतदान ऐजेन्ट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना करते हुए की जायेगी। यदि स्थान का अभाव हो तो अभ्यर्थियों के ऐजेन्टस के बैठने की व्यवस्था कमरे के बाहर इस तरह की जायेगी कि वे अन्दर की कार्यवाही ठीक तरह से देख सके और आवश्यकता होने पर पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी से संवाद कर सके।
3. मतदान अभिकर्ता अपने हाथ सेनेटाइज (Sanitize) करने के बाद ही स्थान ग्रहण कर सकेगा और यदि बीच में बाहर जाता है तो पुनः हाथ सेनेटाइज करके ही प्रवेश करेगा।
4. मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर आवश्कतानुसार मास्क इतना नीचे करने के लिए कहा जायेगा जितना इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।
5. मतदान अधिकारी के समक्ष एक समय में केवल एक मतदाता को ही खडे होने की अनुमति दी जायेगी।

चित्रा
8/7

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

6. मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए मतदाता अपने पेन का प्रयोग नहीं करेगा और मतदान अधिकारी द्वारा दिये गये पेन से ही हस्ताक्षर किये जायेंगे। इस हेतु प्रयुक्त पेन को कुछ समय के अन्तराल पर सेनेटाइज किया जायेगा।
7. मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान दल के सदस्य और निर्वाचन अभिकर्ता कुछ समय अन्तराल पर या आवयश्कतानुसार अपने हाथ सेनेटाइज करते रहेंगे।
8. मतदान के पर्यवेक्षण के लिए नियोजित जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर/ऐरिया मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक मतदान केन्द्र में हाथ सेनेटाइज (Sanitize) करने के बाद ही प्रवेश करेंगे तथा मास्क लगाकर रखेंगे।

C. अभ्यर्थियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले मतदाता सहायता बूथ पर COVID-19 के संबंध में निम्न व्यवस्थाएं आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जानी हैं।

1. मतदान केन्द्र के बाहर आयोग द्वारा निर्धारित दूरी पर ही मतदाता सहायता बूथ स्थापित किया जायेगा/लगाया जायेगा।
2. मतदाता सहायता बूथ पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
3. मतदाता सहायता बूथ पर पर्याप्त मात्रा में सेनेटाइजर उपलब्ध रखा जाये इसकी व्यवस्था अभ्यर्थी अपने स्तर पर करेंगे।
4. मतदाता सहायता बूथ पर एक समय में केवल एक व्यक्ति ही खडा रह सकेगा अधिक व्यक्ति होने की दशा में सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना करते हुए पंक्ति बनाई जायेगी लेकिन ऐसी पंक्ति में 5 से अधिक व्यक्ति खडे नहीं होंगे।

13. EVM एवं मतदान सामग्री का संग्रहण

1) मतदान सामग्री संग्रहण स्थल को उचित रूप से सेनेटाइज (Sanitize) किया जायेगा।
2) मतदान सामग्री संग्रहण स्थल पर सैनेटाइजर की उचित व्यवस्था की जायेगी।
3) प्रत्येक कार्मिक द्वारा मतदान सामग्री का संग्रहण के दौरान मास्क लगाकर रखना होगा।
4) EVMs एवं मतदान सामग्री का संग्रहण के दौरान सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
5) EVMs एवं मतदान सामग्री का संग्रहण के प्रत्येक काउन्टर के समक्ष खडे होने के लिए 6 फीट (2 गज) की दूरी के अन्तर से गोले बनाये जायेंगे (Earmarking circle)।
6) EVMs एवं मतदान सामग्री का संग्रहण की उक्त समस्त व्यवस्था के दौरान COVID-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार पुलिस बल नियोजित किया जाये।
7) मतदान में प्रयुक्त मशीने (EVMs) के भण्डारण से पूर्व भण्डार को ठीक तरह से सैनेटाइज (Sanitize) किया जायेगा।
8) सामाजिक दूरी (Social Distancing) एवं आवश्यक सुरक्षा उपायों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

14. मतगणना

1) मतगणना के लिए यथा संभव बडे हाल का चयन किया जायेगा ताकि सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना सुनिश्चित की सके।
2) मतगणना स्थल को उपयोग में लिए जाने से पूर्व ठीक तरह से सैनेटाइज (Sanitize) किया जायेगा।
3) मतगणना स्थल पर यदि पर्याप्त संख्या में बडे कमरें है तो रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक समय में एक से अधिक वार्डों की मतगणना अलग–अलग कमरों में की जा सकेगी
4) मतगणना का हाल यदि पर्याप्त बडा है और सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना करते हुए एक से अधिक वार्ड की मतगणना के लिए पर्याप्त स्थान है तो एक से अधिक वार्डो, जैसी भी स्थिति हो (as the case may be), की मतगणना एक हाल में एक साथ भी की जा सकेगी।
5) मतगणना स्थल पर सभी आपतकालीन उपकरणों एवं आवश्यक दवाओं सहित मेडीकल टीम जिसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं नर्सिंग स्टाफ होगा, उपलब्ध रहेगी।
6) प्रवेश से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के तापमान की जांच के लिए थर्मल स्केनिंग (Thermal Scanning) की जायेगी।
7) प्रवेश से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के हाथ सेनेटाइज किये जायेगे। इसके लिए मतगणना स्थल पर सेनेटाइजर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
8) बिना मास्क के मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा इस हेतु प्रवेश द्वार के सहजदृश्य स्थान पर "No Mask No Entry" प्रदर्शित किया जायेगा।
9) एक बार में जिन वार्डो की मतगणना हो रही है, उनसे संबंधित वार्डो के अभ्यर्थियों/मतगणना ऐजेन्टस को ही मतगणना कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। इस प्रक्रिया का अनुपालन अन्य वार्डो के अभ्यर्थियों/मतगणना ऐजेन्टस के प्रवेश के समय भी किया जायेगा।
10) मतगणना हेतु कन्ट्रोल यूनिट को कैरिंग केस से निकालने से पूर्व केरिंग केस (Carrying Cases) को उचित रूप से सैनेटाइज (Sanitize) किया जायेगा।
11) अभ्यर्थियों/मतगणना ऐजेन्टस को मतगणना कक्ष में बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन करते हुए इस प्रकार की जाये कि इनके द्वारा कन्ट्रोल यूनिट पर प्रर्दशित परिणाम आसानी से देखा जा सके अथवा यदि संभव हो तो परिणाम बडी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जायेगा (Displayed on a large screen)
12) मतगणना कार्य हेतु नियोजित कार्मिक एवं रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के दौरान ग्लव्ज पहनकर रहेंगे एवं आवश्यतानुसार या कुछ–कुछ समय अन्तराल पर हाथ सैनेटाइज करेंगे।

15. परिणाम की घोषणा के पश्चात

1) परिणाम के घोषणा के पश्चात विजयी घोषित उम्मीदवार को बधाई देने के लिए उसके घर या अन्य किसी जगह भीड एकत्रित नहीं होगी।
2) विजयी उम्मीदवार द्वारा कोई विजय जुलूस, रैली या सभा आयोजित नहीं की जायेगी।
3) यदि विजयी उम्मीदवार/उनके समर्थकों या बधाई देने हेतु एकत्रित व्यक्तियों द्वारा COVID-19 के संबंध केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन (Guidelines) की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

नोटः—केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्यवाई।

विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। इन गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट अंकन किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा इन गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

चित्रा
5/7/2021

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पारा/8८-अ

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 7149 दिनांकः 17.09.2020

आदेश

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं,

राजस्थान राज्य में होने वाले संरपंच एवं पंच के चुनावों में पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत निर्वाचन लड़ने के लिए नाम निर्देशन प्रस्तुत के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के मामले भी आ सकते हैं जो कोविड–19 के पोजिटिव रिपोर्ट केस हैं। जिले में कोविड–19 के पोजिटिव रिपोर्ट केसेज की संपूर्ण सूचना जिला कलक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास उपलब्ध होती है।

पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 25 के अन्तर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि अभ्यर्थी अपना नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिशः प्रस्तुत करेगा।

ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच पद के लिए निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारू रूप से संचालन के लिए कोविड–19 पॉजिटिव (Covid-19 positive) रिपोर्ट किये गये व्यक्तियों की स्वयं की सुरक्षा के लिए और ऐसा व्यक्ति समाज के अन्य नागरिकों को कोविड–19 की जोखिम में डालने का कारण न बने, इसके लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्संबंधी विषयों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K एवं पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी करता है:–

1. कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति यदि सरपंच या पंच पद का चुनाव लड़ने का आशय रखता है तो वह नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दिन से कम से कम एक दिन पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रेषित करेगा।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर उसे संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करेगा।
3. जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर इस बात का समाधान (Satisfaction) करेगा कि क्या ऐसा कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति अपने एवं अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए जा सकता है? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस संबंध में अपना समाधान करने में उस व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य की दशा, संक्रमण का स्तर, उपचार की स्थिति, कोविड–19 के संबंध केन्द्र / राज्य सरकार की गाईडलाइंस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल एवं इस हेतु उसे समर्थ करने के लिए आवश्यक अन्य सभी बातों का ध्यान रखेगा।
4. यदि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का इस संबंध में यह समाधान हो जाता है कि ऐसा कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति अपने एवं अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भेजा जा सकता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेगा।

5. जिला निर्वाचन अधिकारी के निदेशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की गाईडलाईन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये तथा सुरक्षा के समस्त उपाय अपनाते हुये अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट अधीनस्थ अधिकारी के साथ नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भिजवायेगा।

6. चिकित्सा विभाग के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लाया गया ऐसा कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर अपना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

7. रिटर्निंग अधिकारी पीपीई किट, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, पहनकर ऐसे व्यक्ति का नामनिर्देशन पत्र पर्याप्त दूरी रखते हुये अलग कमरे में प्राप्त करेगा। ऐसा नामनिर्देशन पत्र प्राप्त होने पर ठीक से सेनेटाईज किया जायेगा।

8. नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ऐसे कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति चिकित्सा विभाग के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुये वापस यथा स्थान पहुँचाया जायेगा।

9. यदि कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा या नाम वापिसी के लिए भी उपस्थित होने का आशय रखता है तो इस संबंध में उपर्युक्त प्रक्रिया का यथाआवश्यक अनुपालन किया जायेगा।

10. इस आदेश के अन्तर्गत नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में होने वाले व्यय का आंकलन चिकित्सा विभाग द्वारा किया जायेगा तथा ऐसा आंकलित व्यय स्वयं अभ्यर्थी द्वारा वहनीय होगा।

11. शंका समाधान के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड–19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल में या अन्य तत्समय प्रभावी विधि या नियम के अन्तर्गत यदि ऐसा कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जा सकता, तो उस पर यह आदेश कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा और मात्र इस आदेश के आधार पर ऐसे कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति को सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जायेगा।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/7150 दिनांकः 17.09.2020

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ.1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 8257 दिनांकः 09.10.2020

आदेश

राज्य में नगरीय निकायों के सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं,

राजस्थान राज्य में होने वाले निकाय चुनावों में नगरपालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निर्वाचन लड़ने के लिए नाम निर्देशन प्रस्तुत के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के मामले भी आ सकते हैं जो कोविड–19 के पोजिटिव रिपोर्ट केस हैं। निकाय क्षेत्र में कोविड–19 के पोजिटिव रिपोर्ट केसेज की संपूर्ण सूचना जिला कलक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास उपलब्ध होती है।

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 12(6) के अनुसार सदस्य पद एवं नियम 78(6) सपठित नियम 12(6) के अनुसार अध्यक्षीय पदों के लिए नामनिर्देशन पत्र अभ्यर्थी अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाएगा।

नगरीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारू रूप से संचालन के लिए कोविड–19 पॉजिटिव (Covid-19 positive) रिपोर्ट किये गये व्यक्तियों की स्वयं की सुरक्षा के लिए और ऐसा व्यक्ति समाज के अन्य नागरिकों को कोविड–19 की जोखिम में डालने का कारण न बने, इसके लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्संबंधी विषयों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA एवं नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी करता हैः–

1. कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति यदि सदस्य / अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का आशय रखता है तो वह अपना नामनिर्देशन पत्र ऐसे प्रस्तावक, जो कोविड–19 पॉजिटिव न हो, के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

2. यदि अभ्यर्थी एवं उसका / उसके प्रस्तावक कोविड–19 पॉजिटिव है तो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निम्न प्रकिया का अनुसरण किया जाएगाः–

    i. नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दिन से कम से कम एक दिन पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रेषित करेगा।

    ii. जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर उसे संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करेगा।

iii. जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर इस बात का समाधान (Satisfaction) करेगा कि क्या ऐसा कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति अपने एवं अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए जा सकता है ? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस संबंध में अपना समाधान करने में उस व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य की दशा, संक्रमण का स्तर, उपचार की स्थिति, कोविड–19 के संबंध केन्द्र/राज्य सरकार की गाईडलाइंस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल एवं इस हेतु उसे समर्थ करने के लिए आवश्यक अन्य सभी बातों का ध्यान रखेगा।

iv. यदि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का इस संबंध में यह समाधान हो जाता है कि ऐसा कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति अपने एवं अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भेजा जा सकता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेगा।

v. जिला निर्वाचन अधिकारी के निदेशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की गाईडलाईन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये तथा सुरक्षा के समस्त उपाय अपनाते हुये अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट अधीनस्थ अधिकारी के साथ नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भिजवायेगा।

vi. चिकित्सा विभाग के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लाया गया ऐसा कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर अपना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

vii. रिटर्निंग अधिकारी पीपीई किट, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, पहनकर ऐसे व्यक्ति का नामनिर्देशन पत्र पर्याप्त दूरी रखते हुये अलग कमरे में प्राप्त करेगा। ऐसा नामनिर्देशन पत्र प्राप्त होने पर ठीक से सेनेटाईज किया जायेगा।

viii. नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ऐसे कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति चिकित्सा विभाग के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुये वापस यथा स्थान पहुँचाया जायेगा।

3. नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के दौरान कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गये अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तावक या अभ्यर्थी द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति, जो कोविड–19 पॉजिटिव नहीं है, उपस्थित रह सकता है। यदि ऐसा कोविड–19 पॉजिटिव अभ्यर्थी संवीक्षा में स्वयं ही व्यक्तिशः उपस्थित होने की अपेक्षा करता है तो बिन्दु संख्या–2 में विहित की गई प्रकिया का यथा आवश्यक परिवर्तन सहित अनुपालन किया जाएगा।

4. कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया अभ्यर्थी यदि अपना नाम निर्देशन पत्र वापस लेना चाहता है तो वह अपने प्रस्तावक, जो कोविड–19 पॉजिटिव नहीं है, के माध्यम से नाम वापस ले सकता है। यदि ऐसा कोविड–19 पॉजिटिव अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र स्वयं ही व्यक्तिशः उपस्थित होकर वापस लेना चाहता है तो बिन्दु संख्या–2 में विहित की गई प्रकिया का यथा आवश्यक परिवर्तन सहित अनुपालन किया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

5. इस आदेश के अन्तर्गत नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने/संवीक्षा/नाम वापसी की कार्यवाही के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में होने वाले व्यय का आंकलन चिकित्सा विभाग द्वारा किया जायेगा तथा ऐसा आंकलित व्यय स्वयं अभ्यर्थी द्वारा वहनीय होगा।

6. शंका समाधान के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड–19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल में या अन्य तत्समय प्रभावी विधि या नियम के अन्तर्गत यदि ऐसा कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जा सकता, तो उस पर यह आदेश कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा और मात्र इस आदेश के आधार पर ऐसे कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति को सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जायेगा।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

क्रमांकः एफ.1(4)(1)नपा/रानिआ/14/ 8248 दिनांकः 09.10.2020

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) जयपुर, जोधपुर एवं कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पारा218(१.८

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ 7(1)(3)पचा / रानिआ / 2014–15 / 7378 दिनांक 22.09.2020

आदेश

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं,

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 18–सी के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, मतदान का हकदार होगा। संरपंच एवं पंच के निर्वाचन में मतदान करने के लिए ऐसे मतदाता भी आ सकते हैं जो कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस हो। ऐसे रिपोर्ट किये गये व्यक्तियों की स्वयं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए और ऐसे व्यक्ति समाज के अन्य नागरिकों को जोखिम में डालने का कारण न बने, इसके लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान करने की प्रकिया विहित करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K एवं पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी करता है:–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिन पंचायतों के लिए मतदान होना निश्चित है, उन पंचायतों में मतदान से एक दिन पूर्व की कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस की सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं इस हेतु नियुक्त ब्लाक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।

2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त सूचना उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार संबंधित मतदान दलों को उपलब्ध करायेगा।

3. यदि मतदाता मतदान वाले दिन उसी ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र में ही है तो ब्लाक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी, कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए मतदाता से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्यकर्मी / पटवारी / ग्राम सचिव को किसी सुरक्षित माध्यम से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित करेगा। वह कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से उसका मतदाता सूची में नाम एवं क्रमांक भी प्राप्त करेगा।

4. यदि मतदाता मतदान की इच्छा व्यक्त करता है तो ब्लाक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित पीठासीन अधिकारी से संपर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान हेतु समय निर्धारित करा कर उसे सूचित किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति का मतदान सबसे अन्त में कराया जावे।

5. कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों की देख रेख में चिकित्सा विभाग प्रोटोकॉल/निर्देश एवं इस संबंध में नियत सभी उपायों की पालना करते हुए मतदान कराया जायेगा। मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा मतदान के समय गलव्ज पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों का अनुपालन करेगें।

6. स्वास्थ्यकर्मी पीठासीन अधिकारी को उस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम एवं क्रमांक से अवगत करायेगा। उसकी पहचान के लिए पीपीई किट/मास्क नहीं हटवाया जाएगा। मतदान अधिकारी इसका नोट डालकर मतदान के लिए अनुमति देगा।

7. ऐसे कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट मतदाता द्वारा मतदान के समय मतदान दलों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसकी अंगुली पर अमिट स्याही लगाए जाने की एवं मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर/अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।

8. शंका समाधान के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड–19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल में या अन्य तत्समय प्रभावी विधि या नियम के अन्तर्गत यदि ऐसा कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जा सकता, तो उस पर यह आदेश कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा और मात्र इस आदेश के आधार पर ऐसे कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति को सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से मतदान के लिए नहीं लाया जायेगा।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/ 7379–82 दिनांकः 22.09.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. संबंधित उपखण्ड अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. समस्त ब्लाक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी मार्फत उपखण्ड अधिकारी।

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव

पारा४८८.D

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

दिनांकः 09.10.2020

क्रमांकः एफ.1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 8742

आदेश

राज्य में नगरपालिका के सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं,

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 25 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, मतदान का हकदार होगा। राजस्थान राज्य में होने वाले नगर निकाय के निर्वाचन में मतदान करने के लिए ऐसे मतदाता भी आ सकते हैं जो कोविड–19 के पोजिटिव रिपोर्ट केस हो।

नगरीय निकायों के निर्वाचनों में पात्र मतदाता के मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कोविड–19 पॉजिटिव (Covid-19 Positive) रिपोर्ट किये गये व्यक्तियों की स्वयं की सुरक्षा के लिए और ऐसा व्यक्ति समाज के अन्य नागरिकों को कोविड–19 की जोखिम में डालने का कारण न बने, इसके लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान करने एवं ततसंबंधी विषयों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी करता है:–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिन नगरीय निकायों के लिए मतदान होना निश्चित है, उन निकायों में मतदान से एक दिन पूर्व की कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस की सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं इस हेतु नियुक्त नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।

2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त उक्त कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस की सूचना रिटर्निंग अधिकारी संबंधित मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

3. यदि मतदाता मतदान वाले दिन उसी निकाय की सीमा क्षेत्र में ही है तो संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी, कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए मतदाता से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्यकर्मी को सुरक्षित माध्यम से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित करेगा। वह कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से मतदाता सूची में उसके नाम की प्रविष्टि से संबंधित वार्ड संख्या, भाग संख्या एवं क्रमांक भी प्राप्त करेगा।

4. यदि मतदाता मतदान की इच्छा व्यक्त करता है तो संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित पीठासीन अधिकारी से संपर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान हेतु समय निर्धारित करा कर उसे सूचित किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति का मतदान सबसे अन्त में कराया जावे।

5. कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों की देख–रेख में चिकित्सा विभाग के प्रोटोकॉल / निर्देश एवं इस संबंध में नियत सभी उपायों का पालना करते हुए मतदान कर सकेगा। मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा मतदान के समय गलव्ज पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों का अनुपालन करेगें।

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

6. स्वास्थ्यकर्मी पीठासीन अधिकारी को उस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम, भाग संख्या एवं क्रमांक से अवगत करायेगा। उसकी पहचान के लिए पीपीई किट/मास्क नहीं हटवाया जाएगा। मतदान अधिकारी इसका नोट डालकर मतदान के लिए अनुमति देगा।

7. ऐसे कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट मतदाता द्वारा मतदान के समय मतदान दलों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसकी अंगुली पर अमिट स्याहीं लगाए जाने की एवं मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर/अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।

8. शंका समाधान के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड–19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल में या अन्य तत्समय प्रभावी विधि या नियम के अन्तर्गत यदि ऐसा कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जा सकता, तो उस पर यह आदेश कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा और मात्र इस आदेश के आधार पर ऐसे कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति को सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से मतदान के लिए नहीं लाया जायेगा।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

क्रमांकः एफ.1(4)(1)नपा/रानिआ/14/8243-46 दिनांकः 09.10.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) जयपुर, जोधपुर एवं कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा मार्फत रिटर्निंग अधिकारी।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान